न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 56/2023 निर्णय दिनांक 29.05.2024

ऑनलाईन नम्बर 2023/145

सहीराम पुत्र तोलाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. रामरख पुत्र तोलाराम जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. रामेती पत्नि रामरख जाति जाट निवासी कल्याणसर नया तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. उपपंजीयक कार्यालय, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ओमनाथर सिद्ध अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार से सादर पेश है प्रार्थी ने उपरोक्त अनुवानी दावा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश कर दिया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का सगा भाई व अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण गांव कल्याणसर नया के निवासीगण है। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 692/520 तादादी 10.0800 हैक्टेयर वाके रोही कल्याणसर नया में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 7/72 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का 151/1008 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 रामेती का 253/336 हिस्सा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादगत खेत प्रार्थी का पैतृक खातेदारी खेत है जिसे प्रार्थी अपने दादा स्व. जैसाराम के समय से ही काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी के दादा के जीवनकाल में ही पारिवारिक बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में वादगत खेत का 7/72 हिस्सा आया हुआ है तथा तब से लेकर आज तक प्रार्थी उक्त खेत को लगातार कास्त करता चला आ रहा है व उक्त खेत के उतरी मध्य हिस्से के 7/72 हिस्से पर प्रार्थी के दादा के समय से ही प्रार्थी काबिज [illegible] कास्त है । प्रार्थी ने अपने हिस्से में पिछले 40 वर्षो से अपने हिस्से में ढाणी व [illegible] बना रखे है तथा खेत में ही ढाणी बनाकर परिवार सहित रहता [illegible] वादगत खेत में उतरी मध्य 7/72 हिस्से पर पिछले 40 वर्षो से कब्जा कास्त है एंव खेत में ढाणी [illegible] रखी है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने हिस्से को कास्त कर उपजाऊ बना रखा है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त परिवार की स्थिति अब समाप्त हो चुकी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण अब अपने परिवार सहित अलग—अलग रहते है। प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि में सुधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्य करवाकर उपजाऊ बनाना चाहता है। इस हेतु प्रार्थी को कृषि ऋण की आवश्यकता है तथा प्रार्थी के.सी.सी. आदि बनाकर बैंक से लोन लेकर अपने हिस्से में सुधार कार्य करवाना चाहता है एंव वादगत खेत का विभाजन करवाकर मौके पर कब्जा कास्त के अनुसार अपने हिस्से को राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने दिनांक 14.05.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को वादगत खेत में मौके पर कब्जा कास्त व पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादगत खेत का राजस्व रेकार्ड में विभाजन करवाने एंव अपने–अपने हिस्से की घोषणा करवाने का कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये और प्रार्थी को धमकीयां दी कि हम आपके कब्जा कास्त के हिस्से से आपको बेदखल करेगे व आपके हिस्से में बनी ढाणी के पुराने मकानात आदि का हटाकर आपके हिस्से को हम जबरदस्ती बलपूर्वक लाठी के बलबूते पर कास्त करेगे व आपको अपने हिस्से से बेदखल करके रहेगे ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेत प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का है व प्रार्थी का उक्त खेत में अपना हिस्सा पर पिछले 40 वर्षो से आज तक कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा कास्त की भूमि से जबरदस्ती प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दे रहे है जिससे प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होगी। इसलिए अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई, निषेधाज्ञा इस आशय की जारी कि जावे कि वो वादगत खेत 692/520 में प्रार्थी के हिस्से एंव कब्जा कास्त में किसी प्रकार की दखल अदाजी न करे व प्रार्थी को उसके कब्जा कास्त से जबरदस्ती बलपूर्वक बेदखल करे और वादगत खेत में प्रार्थी के कब्जा कास्त एंव रहवासीय मकान मय ढाणी के सम्बन्ध में ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य कारित न करे जिससे प्रार्थी के अधिकारो पर विपरित असर पड़ता तो व वादगत खेत को किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरण आदि ना करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या संख्या 01 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा वाद फैसला मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का कथन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि वादगत खेत के पुराने खसरा नंबर 520/341 तादादी 18.42 हैक्टेयर रोही कल्याणसर नया थे, जिसकी खातेदारी तोलाराम पुत्र जैसाराम जाट निवासी कल्याणसर नया के नाम से थी। खातेदार तोलाराम ने अपने इस खसरा नंबर 520/341 में से 8.3400 हैक्टेयर भूमि अपनी पुत्रवधु संतोषदेवी पत्नी रामप्रताप को गिफट कर दी, गिफट के अनुसार 8.3400 हैक्टेयर की खातेदारी संतोष के नाम दर्ज हो गई और उसने अपना हिस्सा अलग करवा लिया, जिसके खसरा नंबर 693/520 तादादी 8.3400 हैक्टेयर कायम हुये। खसरा नंबर 520/341 के खातेदार अपनी खातेदारी भूमि 18.4200 हैक्टेयर में से 8.3400 हैक्टेयरनिाषे संतोष पत्नी रामप्रताप को गिफट करने के बाद इस खसरा की जमीन में से 7.59 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को गिफट

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(बीकानेर)

कर दी तथा 1.52 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को गिफट कर दी ताथा 7/72 हिस्सा भूमि प्रार्थी को गिफट कर दी और जिसके खसरा नंबर 692/520 कायम हुये। खसरा नंबर 592/520 की 7/72 हिस्सा भूमि पारिवारिक तौर पर पश्चिमी तरफ की प्रार्थी को दी गई। तथा इस खसरा की शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दी गई, चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पति–पत्नी है, इसलिये उनकी जमीन संयुक्त रखी गई तथा प्रार्थी को मौखिक बंटवारा अनुसार इस खसरा की 7/72 हिस्सा भूमि पश्चिमी तरफ की दी गई। प्रार्थी को दी गई पश्चिमी तरफ की 7/72 हिस्सा भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा, उपयोग–उपभोग तथा शेष भूमि हम अप्रार्थीगण को दी गइ। अप्रार्थीगण के हिस्सा भूमि में ढाणी, मकान, पानी का कुण्ड, एक पुराना टयूबवैल जो बन्द हो गया है, बनायें हुये है। प्रार्थी के हिस्सा में ना तो पानी का कुण्ड है, ना ही मकान,ना ही ढाणी है। एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत् भूमि अविभाजित पैतृक कृषि भूमि है, अस्थायी निषेधाज्ञा का उद्धेश्य मूलवाद की विषय वस्तु को सुरक्षित बनाए रखना है। अतः वादी के हिस्से तक की भूमि को सुरक्षित रखते हुए प्रतिवादीण स्थान विशेष का उल्लेख न करते हुए किसी भी प्रकार से अन्तरण नहीं करें।ताफैसला वाद मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐं रखें।

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.06.05 12:09:22 IST
Reason: SelfAttested